08

नि० दि० 17/8/2021
रिमा०ड

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	386/2021 कमला / सीताराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/08/21	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड करे। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारंभ में हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के पैरा संख्या 2 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से विवादग्रस्त भूमि गैरमुमकिन आबादी में बाडे की भूमि होना अंकित किया है। जिससे ही प्रथमद्रष्टया प्रकरण राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नही होकर सिविल न्यायालय के समक्ष संधारणीय होना स्पष्ट था। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील पत्रावली पर उपलब्ध दीवानी वाद संख्या 03/09(120/2006) एनसीवी न. 1313/2014 में पारित निर्णय दिनांक 19/05/2017 की फोटोप्रति की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त बाड़े के सन्दर्भ में सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चूका है जिसको छुपाते हुए प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर अपीलार्थी को गलत रूप से पाबंद करवा दिया गया। इस सन्दर्भ में अधिवक्ता अपीलार्थी ने RRD 2019 पेज नम्बर 369 उद्दरित करते हुए अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपनी उक्त नजीर में यह स्पष्ट धारित किया है कि विवादित आराजी पर कभी कोई काश्त किसी भी पक्ष द्वारा किया जाना प्रमाणित नही होने से विवादित आराजी के सन्दर्भ में प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है एवं चूँकि विचाराधीन प्रकरण में विवादित आराजी बाड़े की होना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से ही स्पष्ट होती है जिसका क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से सिविल न्यायालय को है अत: उक्त समस्त तथ्यों की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश जैर अपील पारित किया गया है वह विधिविरुद्ध होने से उसकी क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावें। हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि गैरमुमकिन आबादी पर बने बाड़े से सम्बंधित है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि वे सर्वप्रथम यह निर्धारित करते की विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उनमे निहित है अथवा नही। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर मात्र प्रकरण प्रस्तुत होते ही उनके समक्ष प्रार्थी को भी सुने बिना अप्रार्थीगण को आदेश जैर अपील के माध्यम से पाबन्द फरमा दिया	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गया | जो विधि के द्वारा स्थापित सिद्दांतो के स्पष्ट रूप से विपरीत प्रतीत होता है | अत: प्रकरण पर किसी भी पक्ष को सुने बिना मनमाने रूप से एक पक्ष को पाबन्द कर दिये जाने का जो आदेश जैर अपील दिनांक 02/08/2021 आधिन्स्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह न्यायोचित प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष नियतं आगामी पेशी दिनांक 31/08/2021 को उभयपक्षों की सुनवाई कर उपरोक्त विवेचित बिन्दुओ का संज्ञान लेते हुये पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करे | इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है | तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

आदेश आज दिनांक 17/08/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर